संख्या-12/2020/2496 /86-2019-46(सामान्य)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषयः-परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1427/एम-प्रवर्तन जालौन/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में मेसर्स वुड स्पिन टेक्सटाइल इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा जनपद में टेक्सटाईल की औद्योगिक परियोजना की स्थापना के दौरान खुदाई से निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार कर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

(1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए0डी0एम0 स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
(2) प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(3) परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशाषी अभियन्ता	सदस्य
(4) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
(5) सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य

3. उक्त समिति द्वारा उपखनिज की गुणवत्ता के अनुसार उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, तदुपरान्त उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से ई-निविदा द्वारा निस्तारित कराने की कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य यथास्थिति नियमानुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन किया जायेगा।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2496(1)/86-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1860/अमुस/रे0ह0व0/2019, दिनांक 18.12.2019 के सन्दर्भ में।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in